भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AD 714170

यह जनरल स्टाम्प पेपर........................

....

जिला......................फाइल सं0.........

..................के साथ संलग्न है।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश कानपुर

सत्यमेव जयते

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर मण्डल कानपुर

CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AD 714171

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AD 714172

यह जनरल स्टाम्प पेपर..............................

....

जिला..................फाइल सं0........ 3 ...

..................के साथ संलग्न 16/11 6

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश कानपुर

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :– दयानन्द दीनानाथ ग्रुप ऑफ इन्सटीटयूशन एजूकेशन सोसाइटी।
2. संस्था का पता :– ए–1609, आवास विकास , हंसपुरम नौबस्ता , कासीगंवा , कानपुर नगर , उ0प्र0 –208021
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुसार घोषित सभी सिख अल्पसंख्यक समुदाय के उन्नति एवं विकास के लिये कार्य करना तथा उन्हें अल्पसंख्यक संवर्ग में प्राप्त होने वाले समस्त सुविधाओं योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी देकर लाभान्वित कराने का प्रयास करना।
2. अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना इसके अर्न्तगत प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के समस्त प्रकार के विद्यालय/महाविद्यालय खोलकर बालक बालिकाओं का शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक मनोवैज्ञानिक विकास करके उन्हें आदर्श योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करना।
3. संस्था को भारतीय संविधान के अर्न्तगत अल्पसंख्यक संस्थाओं को मिलने वाले लाभों को दिलाने हेतु समुचित प्रयास करना।
4. राज्य सरकार एवं भारत सरकार एवं उनकें विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों को लेना व उन्हें कियान्वित कराना।
5. अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 तथा वक्फ बोर्ड आदि द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाना।
6. संस्था द्वारा संचालित मदरसों विद्यालयों को उ0प्र0 शिक्षा संहिता की धारा 29 व 30 तथा इल्हाक दीनी तालीम कौंसिल उ0प्र0 के अनुसार संचालित होगें।
7. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। उन्हें सरकार द्वारा छात्रवृति आदि दिलाना।
8. अल्पसंख्यक समुदाय के अनाथ व निराश्रित बच्चों के लिये अनाथ आश्रमों, अनाथालयों को स्थापित करना।
9. संस्था का उद्देश्य जनता समाज के समुचित विकास कार्यक्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करना जिसके लिए संस्था के द्वारा प्रारम्भिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल , इण्टरमीडिएट स्तर तक की कक्षाओं का संचालन प्रबन्ध करना तथा संचालित विद्यालय की उन्नति एवं विकास करके उसको उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास करना।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

10. जनपदों प्रदेशों में भिन्न नामों से प्राईमरी, पूर्व प्राईमरी, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय/कन्या व महिला इण्टर कालेज/डिग्री कालेज को खोलना व चलाना। आवासीय विद्यालय विकलांग विद्यालय खोलना व चलाना।

11. शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत स्टेडियम, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, पैरा मेडिकल कालेज, पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई, व्यवसायिक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों व गरीबी रेखा के नीचे जीवन कर रहे परिवारों को व उनके आश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

13. बालश्रम विद्यालय खोलना व चलाना।

14. शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से बी0एड0 कालेज, लॉ कालेज, डिग्री कालेज, शारीरिक शिक्षा सहित उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलना व उन्हें संचालित करना।

15. उ0प्र0 सरकार की घोशित नीति एवं योजना कार्यक्षेत्र की महिलाओं व सर्वांगीण विकास हेतु महिला इण्टर कालेज व महिला डिग्री कालेज व महिलाओं के लिए प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं को खोलना व उसे चलाना।

16. शिक्षित बेराजगार युवक युवतियों के लिए तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा के अर्न्तगत प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना व चलाना। इस हेतु विभिन्न विभागों से योजनाओं व कार्यक्रमों को लेना व चलाना इसके लिए शिल्प कला केन्द्र की स्थापना करना। उसको चलाना तथा उसके अर्न्तगत विभिन्न वर्गो की व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

17. अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व तकनीकी व रोजगारपरक शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार की कार्य योजना के संचालन हेतु स्कूल कालेज, व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।

18. महिला बाल युवा प्रौढ़ विकास कार्यक्रम, विज्ञान शिक्षा एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कला, कौशल का विकास हेतु सिलाई, कताई, बुनाई, गृहशिल्प, दस्तकारी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टाईप एवं षार्टहैण्ड प्रशिक्षण, रेडीमेड गारमेण्ट, फैशन डिजाइनिंग, फल संरक्षण, दाल प्रशोधन सहित तमाम रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

19. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाओं/विभागों से शहर व ग्रामीण क्षेत्र में जनहित का कार्य कराने में सहयोग करना। इस हेतु सांसद निधि विधायक निधियों से ग्रामीण व अविकसित क्षेत्र में विकास एवं सहयोग लेना।

20. वृद्ध, विकलांग, मानसिक रूप से कमजोर, विधवा, पतिता, परित्यक्ता, समाज शोषित , निराश्रित, कुष्ठ रोगियों, अनाथ मुक्त हुये बाल श्रमिकों, देह व्यापार से मुक्त हुयी महिलाओं एवं उनके बच्चों, झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले संसाधन विहीन परिवारों एवं भिक्षुओं के उत्थान एवं पुर्नस्थापन एवं समग्र विकास हेतु कार्य योजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना।

सत्य-प्रतिलिपि

21. निराश्रित एवं साधनहीन एवं कामकाजी महिलाओं एवं लड़कियों के लिए अल्पकालीन निवास शार्ट स्टे होम की स्थापना करना उन्हें प्रश्रय प्रदान करना तथा उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पुर्नवासित करना व कराना।

22. बेरोजगार एवं शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण देकर लघु उद्योगों की स्थापना के लिए तैयार करना व उन्हें वित्तीय संसाधन प्राप्त करने सम्बन्धी शासन प्रशासन की नीतियों योजनाओं व कार्यक्रमो की जानकारी कराना।

23. समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, सिप्सा, नाबार्ड, आवार्ड, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, इत्यादि के सहयोग से महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रमों ग्रामीण विकास परियाजनाओं का प्रचार प्रसार एवं उनमें फैलोशिप प्राप्त करना।

24. महिलाओं एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, निःशुल्क विधिक सहायता, पालनाधार व स्वरोजगार हेतु उपयोगी संस्थाओं की स्थापना, शासन प्रशासन के सहयोग एवं सहायता से करना।

25. बालश्रम की रोकथाम के लिए कार्य करना। बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाना। शासन प्रशासन के सहयोग से बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय की स्थापना कर उनका संचालन करना। बाल श्रमिकों के स्वस्थ मनोरंजन, स्वास्थ्य सुधार शिक्षा एवं विकास के लिए योजना एवं कार्यक्रमों को चलाना।

26. समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोश्ठी, सेमिनार सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, जागरूकता शिविर, आत्म सुरक्षा शिविर, जागरूकता शिविर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर, वैकल्पिक चिकित्सा शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियों प्रतिरक्षण शिविरों की व्यवस्था एवं आयोजन करना।

27. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक महिलाओं, विकलांगों, बेरोजगारों और गरीबों अनाथों, आदिवासियों, विस्थापित एवं वृद्धजनों, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना तथा इसके लिये भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वित्त निगम, महिला कल्याण निगम के विभागों, अनुभागों, निगमों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को चलाना।

28. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, अस्थायी निकायों, दानशील व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, कार्यलयों, समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, सिप्सा, नाबार्ड, आवार्ड, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकरा, सिडवी, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, आक्सकेम इण्डिया, डूडा, सूडा, विष्व स्वास्थ्य संगठन, राश्ट्रीय महिला कोश, भूतल परिवहन, एवं राजमार्ग मंत्रालय, विष्व बैंक हुडकों केयर, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, उ0प्र0 केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, कृशि एवं उद्यान विभाग, उ0प्र0 राश्ट्रीय एवं वित्तीय संस्थाओं, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों एवं ग्रामीण व नगरीय विकास परियोजनाओं आदि द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को संचालन करना व प्रचार प्रसार करना।

Saran Kaur

सत्य—प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

5.प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यो के नाम पता पद एवं व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है:–

कम	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री राजन चोपडा	जे–142, फेस–1, अशोक विहार, दिल्ली–110052	चेयरमैन	एजूकेशनिस्ट
2.	सरनजीत कौर	1833 / 137 शान्ती नगर, त्रिनागेर, दिल्ली–35	वाइस चेयरमैन	एजूकेशनिस्ट
3.	मिल्ली गोयल	16 / 17 सेकेण्ड फ्लोर, शक्ति नगर दिल्ली	सिकेटरी	एजूकेशनिस्ट
4.	दिनेश सिंह	ए–2 / 31 सी , केशव पुरम ,दिल्ली–110035	कोषाध्यक्ष	सर्विस
5.	श्री हरजीत सिंह	1833 / 137 शान्ती नगर, त्रिनागेर, दिल्ली–35	सदस्य	सर्विस
6.	श्री तजिन्दर सिंह	143 हैदरपुर दिल्ली–110038	सदस्य	सर्विस
7.	श्री मन्दीप कौर	143 हैदरपुर दिल्ली–110038	सदस्य	सर्विस

6.हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था को स्मृतिपत्र एवं नियमावली के अनुसार सोसायटी रजि0ऐक्ट 21 सन 1860 के अर्न्तगत पंजीकृत कराना चाहते है। :

दिनॉक–: 9.10.2016

कम	नाम	पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री राजन चोपडा	जे–142, फेस–1, अशोक विहार, दिल्ली–110052	चेयरमैन	
2.	सरनजीत कौर	1833 / 137 शान्ती नगर, त्रिनागेर, दिल्ली–35	वाइस चैयरमैन	Saran Kaur
3.	मिल्ली गोयल	16 / 17 सेकेण्ड फ्लोर, शक्ति नगर दिल्ली	सिकेटरी	Milli Goel
4.	दिनेश सिंह	ए–2 / 31 सी , केशव पुरम ,दिल्ली–110035	कोषाध्यक्ष	
5.	श्री हरजीत सिंह	1833 / 137 शान्ती नगर, त्रिनागेर, दिल्ली–35	सदस्य	
6.	श्री तजिन्दर सिंह	143 हैदरपुर दिल्ली–110038	सदस्य	
7.	श्री मन्दीप कौर	143 हैदरपुर दिल्ली–110038	सदस्य	M. Kaur

Saran Kaur   Milli Goel

M. Kaur

कार्यालय उप निबन्धक ... उत्तर प्रदेश कानपुर

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

12/2/16

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : – दयानन्द दीनानाथ ग्रुप ऑफ इन्सटीटयूशन एजूकेशन सोसाइटी।
2. संस्था का पता : – ए–1609, आवास विकास , हंसपुरम नौबस्ता , कासीगंवा , कानपुर नगर , उ0प्र0 –208021
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उददेश्य :– स्मृतिपत्र के अनुसार होगे।

5. संस्था की सदस्यता व सदस्यो के वर्ग–
वह व्यक्ति जो संस्था के उददेश्यो मे के प्रति पूर्ण विश्वास एंव आस्था रखता हो तथा संस्था के नियमो का पालन करने के प्रति वचनवद्ध रहे , उम्र से बालिग हो तथा भारतीय नागरिक हो वह संस्था का सदस्य चेयरमेन की संस्तुति से बनाया जायेगा।

आजीवन सदस्य
संस्था को 5000/– रू0 नगर या इससे अधिक मूल्य की चल –अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालो को संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

सामान्य सदस्य
संस्था का प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर अप्रैल माह मे रूपये 101/– नगद वार्षिक शुल्क प्रदान करने वालो को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

6–सदस्यता की समाप्ति :–
मृत्यु हो जाने पर , किसी गम्भीर रोग से पीडित होने पर दिवालिया होने पर , संस्था के विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर निर्धारित सदस्यता शुल्क समय पर न अदा करने पर किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अपराध मे दण्डित होने पर , संस्था के नियमो का पालन न करने पर लगातर तीन बैठको मे बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थित रहेने पर , त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर , अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

7. संस्था के अंग :– संस्था के दो अंग होगे।

अ.साधारण सभा
ब.प्रबन्धकारिणी समिति

8.साधारण सभा :–
अ.गठन :–
साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यो को मिला कर किया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि

ब.बैठके :- सामान्य व विशेष :-

साधारण सभा की सामान्य बैठको को वर्ष मे एक बार व विशेष बैठको को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलायी जायेगी।

स.सूचना अवधि :-

साधारण सभा की सामान्य बैठको की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देकर बुलायी जायेगी।

द.गणपूर्ति –

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठको के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यो की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होगी किन्तु कोरम के आभाव मे स्थगित बैठको को दो घंटे बाद पुनः आहुत करने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा , लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही बने रहेगे।

य.विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि –

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर किया जायेगा । जिसकी तिथि समय , व स्थान प्रबन्धसमिति द्वारा तय कर लिया जायेगा।

र. साधारण सभा के कर्तव्य –

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय व्यय बजट पारित करना।
3. नियमो व विनियमो मे 2/3 बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।
4. संस्था के उददेश्यो का प्रचार प्रसार करना।

9.प्रबन्धकारिणी समिति –

अ. गठन –

प्रबन्धकारिणी का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा की बैठक मे चुनाव द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा। जिसमे एकं चेयरमैन , वाइस चेयरमैन एक सेकेटरी , एक कोषाध्यक्ष , तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होगे । इस प्रकार कुल 07 व्यक्तियो की प्रबन्धकारिणी समिति होगी । जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई – बढाई जा सकती है। प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा व संचालित केन्द्रो के पदाधिकारी होगे । आवश्कयतानुसार संचालित केन्द्रो मे अन्य सदस्य शामिल किया जा सकते है।

ब.बैठकें सामान्य व विशेष –

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठको को वर्ष मे एक बार व विशेष बैठको का आवश्यकतानुसार कभी भी सूचना देकर के बुलाया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

स. सूचना अवधि –
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठको की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठको को 24 घंटे पूर्व की सूचना देकर के बुलाया जायेगा।

द.गणपूर्ति –
प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठको के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 सदस्यो की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक होगी , किन्तु स्थगित बैठको पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा।

य.रिक्त स्थानों की पूर्ति –
प्रबन्धकारिणी समिति के आकस्मिक रिक्त हुये स्थानो की पूर्ति साधारण सभा की बैठक मे चुनाव द्वारा बहुमत के आधार पर शेष कार्यकाल के लिए कर ली जायेगी ।

कार्यकाल :–
प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

ल .प्रबन्धकारिणी समिति के कार्य
1. संस्था का प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना।
2. संस्था के हितो के लिए कार्य करना।
3. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना तथा वार्षिक कार्यक्रमो की रूपरेखा तैयार कर उनको लागू करना।
4. संस्था के विवादो को सुलझाना ।
5. उपसमितियो व उपनियमो को बनाना और उनके लिए पदाधिकारियो की नियुक्ति करना।
6. संस्था के उददेश्यो की पूर्ति हेतु सम्मेलनो , विचार गोष्ठियो एंव सेमिनारो का आयोजन करना।
7. उददेश्यो की पूर्ति हेतु राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार , समाज कल्याण विभाग , केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड , मानव संसाधन विकास मन्त्रालय , उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, अल्पसंख्यक विभाग, वित्तीय संस्थाओ , संस्थानो , बैको , दान , दाताओ , व्यापारिक प्रतिष्ठानो एंव नागरिको से आर्थिक सहायता ऋण , अनुदान , दान चन्दा चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना तथा संस्था के लिए भूमि भवन , क्रय एंव विक्रय पट्टे पर लेना देना आदि

10.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारीयों का अधिकार व कर्तव्य :–
1–चेयरमेन :–
1. सभी प्रकार की बैठको एंव अध्यक्षता स्वीकार करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. बैठको आदि की तिथियो का अनुमोदन व परिवर्तन करना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित त्यागपत्रो को स्वीकार करना।
5. समान मत होने पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।
6. संस्था द्वारा संचालित विद्यालयो / महाविद्यालयो का प्रबन्धकार्य एंव केन्द्रो का प्रबन्धकार्य नियमानुसार सम्पादित व संचालित करना।

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

7.अध्यापको / कर्मचारियो /प्रचार्यो / लिपिको आदि की नियुक्ति , निलम्बन , पदोन्नति वेतन वितरण वेतन वृद्धि एंव पदुच्युत करना।
8.समस्त बिल एंव बाउचरो पर हस्ताक्षर करना।
9.संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति एं अभिलेखो पर नियंत्रण रखना।
10.संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
11.समस्त स्टाफ की चरित्र पंजिकाये रखना उनमे कार्य के आधार पर अनुकूल एंव प्रतिकूल प्रविष्ट तैयार करना कारण बताओ नोटिस जारी करना पृथक या निलम्बित करना।
12.संस्था की ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप मे कार्य करना।
13.संस्था की ओर से शिक्षा सहिता एंव प्रशासन योजना के नियमानुसार कार्य करना।
14.प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करना।

ब .वाइस चेयमैन

चेयमैन की अनुपस्थिति मे उसके समस्त कार्यो को वरिष्ठताक्रम के अनुसार सम्पादित व संचालित करना तथा सामान्य स्थिति मे उसका सहयोग करना।

स.–सेक्रेटरी :–

1. सभी प्रकार की बैठको को संचालित करना तथा कार्यवाहियो को लिपिबद्ध करना।
2. वार्षिक बजट साधारण सभी द्वारा पारित कराना तथा वार्षिक प्रगति रिर्पोट तैयार कर प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
4. उददेश्यो की पूर्ति हेतु दान , अनुदान ,ऋण ,चन्दा आदि प्राप्त करना।
5. संस्था की सभी प्रकार की योजनओ , कार्यक्रमो एंव उददेश्यो का प्रचार प्रसार करना।
6. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करना।

4–कोषाध्यक्ष :–

1. वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना।
2. आय व्यय सम्बन्धित अभिलेखो को लिपिबद्ध करना।
3. सदस्यो की सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको उसकी रसीदे देना।
4. 1000/– रू0 से अधिक धन को बैक मे जमा करने हेतु भेजना।
5. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करना।

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज ... कानपुर

11.संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–

संस्था के नियमो व विनियमो मे संशोधन , परिवर्तन , परिवर्धन , साधारण सभा की बैठक मे 2/3 सदस्यो की बहुमत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 एंव 4 क के अनुसार किया जायेगा।

Saran Kaur

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

12.संस्था का कोष–

संस्था के समस्त कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैक मे संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा। तथा कोष का संचालन संस्था के चेयमेन एंव सेक्रेटरी के संयुक्त हस्ताक्षरो से संचालित किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण

संस्था के समस्त आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14.संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त प्रकार के वाद विवाद की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के चेयरमेन द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत योग्य अधिवक्ता द्वारा की जायेगी तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का न्यायक्षेत्र कानपुर ही होगा।

15.संस्था के अभिलेख

1.सदस्यता रजिस्टर ।
2..कार्यवाही रजिस्टर ।
3.एजेण्डा रजिस्टर ।
4.कैश बुक एंव लेजर ।
5.बाउचर फाइल व अन्य समय समय पर आवश्यकतानुसार ।

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक ... कानपुर

16.संस्था का विघटन :–

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 9.10.2016

सत्य प्रतिलिपि

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट
कानपुर मण्डल कानपुर

12/12/17

दयानन्द दीनानाथ ग्रुप आफ इन्स्टीटयूसन्स एजूकेशन सोसायटी
113/18 स्वरूप नगर कानपुर
संस्था के पंजीकृत कार्यालय मे परिवर्तन हेतु साधारण सभा की बैठक कार्यवाही

आज दिनांक 16.7.2016 को संस्था दयानन्द दीनानाथ ग्रुप आफ इन्स्टीटयूसन्स एजूकेशन सोसायटी 113/18 स्वरूप नगर कानपुर की साधारण सभा की विशेष बैठक का आयोजन संस्था के चेयरमैन श्री राजन चोपडा जी की अध्यक्षता मे संस्था के प्रधान कार्यालय पर प्रातःकाल 9.00 बजे सम्पन्न किया गया। बैठक मे साधारण सभा के कुल सात सदस्यो मे से सभी सातो सदस्य उपस्थित रहे। बैठक मे कोरम पूर्ण रहा।बैठक मे निम्न प्रस्तावो पर विचार विमर्श किया गया।

प्रस्ताव सं0–1 **पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार।**
पिछली कार्यवाही को सदन मे पढकर सुनाया गया जिसकी पुष्टि सर्व सम्मति से की गयी।

प्रस्ताव स0.2 **संस्था के कार्यालय परिवर्तन पर विचार।**
संस्था के चेयरमैन श्री राजन चोपडा जी ने सदन के समक्ष प्रस्ताव किया कि संस्था का पंजीकृत कार्यालय पूर्व चैयरमैन श्री योगश सचान के निवास पर था। श्री योगेश सचान वर्तमान मे साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य नही है। इसके कारण संस्था के पास अपना कोई पता सत्यापन नही है। अतः संस्था ने ए–1609, आवास विकास, हंसपुरम नौबस्ता, कासीगंवा, कानपुर नगर, उ0प्र0 –208021 पर अपना कार्यालय बनाने का निश्चय किया है। संस्था का कार्यालय परिवर्तन करके **ए–1609, आवास विकास, हंसपुरम नौबस्ता, कासीगंवा, कानपुर नगर, उ0प्र0 –208021** कर दिया जाय क्योकि अब संस्था का संचालन इसी पते से किया जायेगा। इस प्रस्ताव का समर्थन सरनजीत कौर ने व अनुमोदन सभी उपस्थित सदस्यो ने किया।प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार हुआ तदनुसार अध्यक्ष महोदय ने संस्था का कार्यालय परिवर्तन निम्नवत पढे जाने की घोषणा की।

पूर्व पंजीकृत कार्यालय	परिवर्तित कार्यालय
113/18 स्वरूप नगर कानपुर	ए–1609, आवास विकास, हंसपुरम नौबस्ता, कासीगंवा, कानपुर नगर, उ0प्र0 –208021

उपरोक्त परिवर्तन का स्वागत एवं समर्थन करतल ध्वनि के साथ किया गया। इसके बाद कोई अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के समक्ष नही लाया गया अतः आज की बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद समाप्त घोषित की गयी।

सत्य प्रतिलिपि

Saran Kaur

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर